

पत्रांक- 11 न०वि० अभि०(को०) 205/2017 11०2 न०वि० एवं आ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, गया।
कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
गया।

विषय:- राज्य योजनान्तर्गत 02 (दो) योजनाओं के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति के संबंध में।
प्रसंग:- नगर आयुक्त, नगर निगम, गया का पत्रांक-1451 दिनांक-18.07.2018
महाशय, पटना, दिनांक-5/9/18


उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्य योजनान्तर्गत निम्न 02 (दो) योजनाओं का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति हेतु समर्पित किया गया है।
प्राक्कलनों के जाँचोपरान्त तकनीकी स्वीकृति की राशि निम्नवत् है:-

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग (₹लाख में)	तकनीकी स्वीकृति की राशि (₹लाख में)
1.	वार्ड नं०-01 पासिखाना मोड़ से महुआ मोड़ सब्जी मंडी होते हुए हरखु महतो के घर तक नाली एवं पी०सी०सी० पथ का निर्माण।	60.16850 (सरकार के संयुक्त सचिव का पत्रांक-149 दिनांक-25.02.2015)	51.865
2.	वार्ड सं०-05 स्थित खजूरी नारायण मोड़ से पूरब की ओर तीन नं० ट्रांसफार्मर से आगे तक एवं बैजनाथ प्रसाद से महुआ मोड़ तक पी०सी०सी० पथ एवं नाली का निर्माण।	128.986 (सरकार के विशेष सचिव का पत्रांक-149 दिनांक-25.02.2015)	117.04

अतः उक्त दोनों योजनाओं के तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन की एक-एक प्रति प्रावैधिक टिप्पणी के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन


05/9/18

अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार पटना।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
प्रावैधिक टिप्पणी


- 1 योजना का नाम :- राज्य योजना अन्तर्गत वार्ड नं०-01 पासीखाना मोड़ से महुआ मोड़ सब्जी मंडी होते हुए हरखु महतो के घर तक नाली एवं पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य।
- 2 प्रशासनिक स्वीकृति राशि एवं प्रसंग :- 60,16,850/- (साठ लाख सोलह हजार आठ सौ पचास) रुपये मात्र। सरकार के संयुक्त सचिव का पत्रांक-149 दिनांक-25.02.2015
- 3 तकनीकी स्वीकृति की राशि:- 51,86,500/- (एकावन लाख छियासी हजार पाँच सौ) रुपये मात्र
- 4 (i) कार्य स्वीकृत प्राक्कलन, निरूपण, आरेखन एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।
(ii) प्राक्कलन की स्वीकृति दर की स्वीकृति नहीं माना जाय।
(iii) कार्य के आरंभ करने के पहले या बाद में यदि किसी प्रकार सुधार अथवा Modification की आवश्यकता महसूस हो तो तदनुसूचित प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के पास बिना विलम्ब के समर्पित करें।
(iv) किसी प्रकार का शेष कार्य यदि हो तो तत्संबंधी प्राक्कलन अधोहस्ताक्षरी के पास समर्पित करें।
(v) परिमाण विपत्र में भाषा, मात्रा एवं दर का मिलान स्वीकृत प्राक्कलन एवं अनुसूचित दर से कर लेंगे।
(vi) नाला निर्माण में नाला तल का स्लोप (Gradient) भली भाँति मेनटेन किया जाय, ताकि जल निकासी सुगमतापूर्वक हो सके।
(vii) पी०सी०सी० पथ कार्य की योजना में कार्य के दौरान Cube का Mould Cast करने के बाद Crushing Strength का Test अवश्य कर लेंगे।
(viii) प्राक्कलन में पथ के क्रष्ट में कैंबर का प्रावधान करेंगे ताकि पानी का जमाव पथ क्रष्ट पर ना हो।
(ix) प्रगति प्रतिवेदन मासिक समर्पित करेंगे।
(x) गुणवत्ता की जाँच हेतु कार्य स्थल पर व्यवस्था रखेंगे ताकि समय-समय पर निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें।
(xi) कार्यपालक अभियंता स्वयं प्रत्येक आइटम आदि की जाँच कर लेंगे तथा त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
(xii) मिट्टी कार्य की जाँच हेतु स्थल के समीप TBM बना कर Level अंकित कर देंगे।
(xiii) गैर अनुसूचित मद के कार्यों का कोटेशन आमंत्रित कर दर का अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदित करा लेंगे।
(xiv) माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा CWJC सं०-14831/2009 में पारित आदेश के आलोक में निविदित पथ का स्तर (level) सटे मकानों के पीलीथ से नीचे रखना सुनिश्चित करेंगे।
(xv) RCC कार्य में लगाने वाले लौह छड़ (Reinforcement), Tata/SAIL/RINL Make का होना चाहिए।
(xvi) प्राक्कलन में दर्शाये गये क्योरी से ही लाये गये स्टोन चिप्स का ही उपयोग करना सुनिश्चित करें।


05/11/19

अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
प्रावैधिक टिप्पणी

- 1 योजना का नाम :- राज्य योजना अन्तर्गत वार्ड सं०-05 स्थित खजूरी नारायण मोड़ से पूरब की ओर तीन नं० ट्रांसफार्मर से आगे तक एवं बैजनाथ प्रसाद से महुआ मोड़ तक पी०सी०सी० पथ एवं नाली का निर्माण।
- 2 प्रशासनिक स्वीकृति राशि एवं प्रसंग :- 1,28,98,600/- (एक करोड़ अट्ठाईस लाख अठानवे हजार छः सौ) रुपये मात्र। सरकार के संयुक्त सचिव का पत्रांक-149 दिनांक-25.02.2015
- 3 तकनीकी स्वीकृति की राशि:- 1,17,04,000/- (एक करोड़ सतरह लाख चार हजार) रुपये मात्र।
- 4 (i) कार्य स्वीकृत प्राक्कलन, निरूपण, आरेखन एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।
(ii) प्राक्कलन की स्वीकृति दर की स्वीकृति नहीं माना जाय।
(iii) कार्य के आरंभ करने के पहले या बाद में यदि किसी प्रकार सुधार अथवा Modification की आवश्यकता महसूस हो तो तदनुरूप प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के पास बिना विलम्ब के समर्पित करें।
(iv) किसी प्रकार का शेष कार्य यदि हो तो तत्संबंधी प्राक्कलन अधोहस्ताक्षरी के पास समर्पित करें।
(v) परिमाण विपत्र में भाषा, मात्रा एवं दर का मिलान स्वीकृत प्राक्कलन एवं अनुसूचित दर से कर लेंगे।
(vi) नाला निर्माण में नाला तल का स्लोप (Gradient) भली भाँति मेनटेन किया जाय, ताकि जल निकासी सुगमतापूर्वक हो सके।
(vii) पी०सी०सी० पथ कार्य की योजना में कार्य के दौरान Cube का Mould Cast करने के बाद Crushing Strength का Test अवश्यक करा लेंगे।
(viii) प्राक्कलन में पथ के क्रष्ट में कैंबर का प्रावधान करेंगे ताकि पानी का जमाव पथ क्रष्ट पर ना हो।
(ix) प्रगति प्रतिवेदन मासिक समर्पित करेंगे।
(x) गुणवत्ता की जाँच हेतु कार्य स्थल पर व्यवस्था रखेंगे ताकि समय-समय पर निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें।
(xi) कार्यपालक अभियंता स्वयं प्रत्येक आइटम आदि की जाँच कर लेंगे तथा त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
(xii) मिट्टी कार्य की जाँच हेतु स्थल के समीप TBM बना कर Level अंकित कर देंगे।
(xiii) गैर अनुसूचित मद के कार्यों का कोटेशन आमंत्रित कर दर का अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदित करा लेंगे।
(xiv) माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा CWJC सं०-14831/2009 में पारित आदेश के आलोक में निविदित पथ का स्तर (level) सटे मकानों के पीलीथ से नीचे रखना सुनिश्चित करेंगे।
(xv) RCC कार्य में लगने वाले लौह छड़ (Reinforcement), Tata/SAIL/RINL Make का होना चाहिए।
(xvi) प्राक्कलन में दर्शाये गये क्योरी से ही लाये गये स्टोन चिप्स का ही उपयोग करना सुनिश्चित करें।


05/9/18

अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।